भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2547

उत्तर देने की तिथि- 04/08/2026

दिव्यांगजनों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान

2547. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि, लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या और वितरित सहायक उपकरणों का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी (PwDs) के लाभ के लिए कोई विशेष पहल, जागरूकता शिविर, मूल्यांकन शिविर, सुगम्यता परियोजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम या सहायक उपकरणों का वितरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोजित शिविरों की संख्या, लाभान्वित लाभार्थियों, वितरित किए गए उपकरणों व साधनों, स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई धनराशि का ब्लॉक-वार और वर्ष-वार विवरण क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): हां। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 लागू किया जो 19.04.2017 से लागू हुआ। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) को अधिकार और हकदारियां प्रदान करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान में सुगम्यता, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षकता, स्वास्थ्य,

शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 बेंचमार्क (40% या अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 32 सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, केंद्र सरकार शैक्षिक और रोजगार आधारित सहायता के संबंध में अपनी प्रमुख योजनाओं जैसे कि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS), एडिप (ADIP - सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता), छात्रवृत्ति योजनाएं और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना (SIPDA) के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कोई बजटीय आवंटन नहीं है। ये योजनाएं मांग-संचालित हैं और वास्तविक मांग के अनुसार धन वितरित किया जाता है।
योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS):

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS) के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल का विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और उनकी क्षमता को साकार करना है, इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में जारी की गई धनराशि और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है-

वित्तीय वर्ष	राशि (रु. में)	लाभार्थी
2021-22	41,89,479	106
2022-23	33,54,015	69
2023-24	68,64,980	111
2024-25	61,27,679	139
2025-26	77,70,127	120

2. एडिप (ADIP - सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता) योजना:

इस योजना के तहत, देश भर में पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धन जारी किया जाता है, जो दिव्यांगता के प्रभावों को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में बिहार में लाभान्वित लाभार्थियों, वितरित सहायक उपकरणों और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	उपयोग की गई धनराशि (रु. लाख में)	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	वितरित सहायक उपकरणों की संख्या
2021-22	496.21	5951	12611
2022-23	1076.87	13143	24292
2023-24	2427.09	23912	36619
2024-25	785.36	5152	9047
2025-26	458.49	3148	5301

3. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:

विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने और सम्मानजनक जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इस योजना में निम्नलिखित छह घटक शामिल हैं:-

- प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)।
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तक)।
- उच्च शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।
- राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी के लिए)।
- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री/डॉक्टरेट के लिए)।
- मुफ्त कोचिंग (सरकारी भर्ती परीक्षाओं और तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए)।

पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य में जारी की गई धनराशि और लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राशि	लाभार्थी
1	2021-22	8.59	2278
2	2022-23	5.29	1257
3	2023-24	11.89	1441
4	2024-25	7.72	904
5	2025-26	18.97	2066

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की योजना (SIPDA):

व्यापक SIPDA योजना के तहत मुख्य उप-योजनाएं/घटक निम्नलिखित हैं:

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण (CBFE)/सुगम्य भारत अभियान (AIC)
- PWD के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) परियोजना
- जागरूकता सृजन और प्रचार (AGP)
- क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर
- NIEPVD, देहरादून के माध्यम से सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास (DALM) की परियोजना।

(4) (i) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण (CBFE) / सुगम्य भारत अभियान (AIC):

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत सुलभ बुनियादी ढांचा, परिवहन और आईसीटी सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। इसका समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार SIPDA के तहत बाधामुक्त वातावरण का निर्माण (CBFE) उप-योजना के माध्यम से मांग-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(4) (ii) दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SDP) - कौशल:

विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SDP) लागू करता है, जो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) को कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है। योजना का उद्देश्य लाभकारी रोजगार के लिए उनके कौशल को बढ़ाना और आत्मनिर्भरता व आर्थिक भागीदारी की दिशा में उनके संक्रमण को सुविधाजनक बनाना है। यह कौशल प्रशिक्षण विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार के रूप में सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

(4) (iii) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID):-

दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) जारी करने के लिए विशिष्ट आईडी परियोजना लागू की जा रही है। यह पहल क्षेत्रों में एकरूपता बनाए रखते हुए PwDs को सरकारी लाभ प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता सुनिश्चित करती है।

(4) (iv) जागरूकता सृजन और प्रचार (AGP) योजना:

जागरूकता सृजन और प्रचार (AGP) योजना के तहत, विभाग राष्ट्रीय संस्थानों (NIs), समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (CRCs) और अन्य पात्र संगठनों के माध्यम से देश भर में दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए अधिकारों, हकदारियों, सुगम्यता और सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन, संवेदीकरण और आउटरीच पहल करता है।

(4) (v) क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर:

ये केंद्र 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जांच और पहचान करते हैं, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का प्रावधान करते हैं।

(4) (vi) सुलभ शिक्षण सामग्री (DALM परियोजना) के विकास के लिए वित्तीय सहायता परियोजना (पूर्व में ब्रेल प्रेस योजना)

ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि के लिए सहायता योजना देश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टिबाधित बच्चों को मुफ्त वितरण के लिए ब्रेल पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

5. राष्ट्रीय संस्थान (NIs):

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के तहत नौ राष्ट्रीय संस्थान (NIs) काम कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के विशेषज्ञ हैं तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य करते हैं। विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों के आउटरीच केंद्रों/विस्तारित शाखाओं के रूप में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तीस समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (CRCs) को भी मंजूरी दी गई है। CRC सभी श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं, पुनर्वास पेशेवरों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं और PwDs की जरूरतों और अधिकारों के संबंध में माता-पिता तथा समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार में जागरूकता सृजन और आउटरीच गतिविधियों के लिए धनराशि जारी की गई थी। जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कार्यक्रम/गतिविधि का नाम	संगठन	जारी की गई राशि (₹)
2024-25	2024-25 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और कैलेंडर दिवस कार्यक्रमों का उत्सव	CRC पटना	2,55,000
2024-25	बिहार और आसपास के क्षेत्रों में PwDs की सेवा करने में CRC पटना की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जागरूकता सृजन-सह-संवेदीकरण कार्यक्रम	CRC पटना	2,25,225
2025-26	पटना, बिहार में 23–31 अगस्त 2025 तक दिव्य कला मेला/दिव्य कला शक्ति का आयोजन	NDFDC	59,73,750

(ग) और (घ):

पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर मूल्यांकन और वितरण शिविर सक्रिय रूप से आयोजित किए जाते हैं। बिहार में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीवान और सारण जिले आते हैं। ADIP योजना के तहत, इन जिलों में सहायक उपकरणों के वितरण के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में सीवान और सारण जिलों में आयोजित शिविरों, लाभान्वित लाभार्थियों, वितरित उपकरणों और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

सीवान जिला:

वर्ष	आयोजित शिविरों की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	वितरित उपकरणों की संख्या	उपयोग की गई धनराशि (रु. लाख में)
2021-22	0	0	0	0
2022-23	2	183	314	12.81
2023-24	7	2200	3697	212.89
2024-25	3	103	161	8.48
2025-26	0	0	0	0

सारण जिला:

वर्ष	आयोजित शिविरों की संख्या	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	वितरित उपकरणों की संख्या	उपयोग की गई धनराशि (रु. लाख में)
2021-22	0	0	0	0
2022-23	3	307	480	24.75
2023-24	19	5046	6828	453.56
2024-25	13	163	276	26.40
2025-26	1	110	113	13.20
